गुमान बनाम केमा वगैरह(2023/330)

आदेश दिनांक 08.11.2023

8/11/23 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 02.11.2023 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, भिनाय ने गैर कानूनी रूप से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने का आदेश पारित कर दिया जिसकी आड में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 वादग्रस्त पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी भूमि को अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल करने तथा निर्माण कार्य करने पर आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी एवं प्रार्थीगण द्वारा वाद एवं अपील प्रस्तुती का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी खरीदशुदा खातेदारी काश्तकारी की आराजी है जिस पर अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 का अवलोकन किया एवं अपील का अवलोकन किया गया। हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्यनजर रखते हुए अपील को इसी स्तर पर निर्णित करना उचित समझते है। अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर) 8/11/23

राजस्व अपील प्राधिकारी

अजमेर